पत्रांक-267 (H.S.) /2012

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग ।

ष्क ज्वर
ावश्यक
ा द्वारा

प्रेषक,

व्यास जी,

सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना, गया, मुजफ्फरपुर,सीतामढ़ी,

पूर्वी चम्पारण,वैशाली, सारण, भोजपुर, नालन्दा एवं नवादा ।

पटना, दिनांक 13 जून, 2012

विषय : मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम एवं उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

राज्य में वर्त्तमान मस्तिष्क ज्वर की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है राज्य के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण एवं वैशाली जिले इस बीमारी से अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित हैं । सारण, भोजपुर, नालन्दा एवं नवादा जिलों के भी इस बीमारी से ग्रसित मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्त्ती किये गये हैं जिनकी संख्या पांच से दस के बीच में हैं ।

2- सरकार द्वारा मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम एवं उपचार के साथ-साथ सघन निगरानी तथा बचाव के उपायों की समीक्षा करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं -

(क) उपर्युक्त सभी जिलों के सिविल सर्जन अपने मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना अविलम्ब करेंगे जो अगले आदेश तक सप्ताह के सभी दिन चौबीस(24) घंटे कार्यरत रहेंगे । नियंत्रण कक्ष में एक चिकित्सा पदाधिकारी के साथ-साथ आवश्यकतानुसार पारा-मेडिकल कर्मचारी, तथा अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए । नियंत्रण कक्ष में एक दूरभाष स्थापित किया जाए एवं इसकी संख्या मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या- **0612-2215505** पर सूचित किया जाये । नियंत्रण कक्ष में एक लॉग बुक संधारित किया जायेगा जिसमें प्राप्त होनेवाली शिकायतें/ सूचनाएं, प्राप्ति का समय, समय तथा की गयी कार्रवाई का विवरण अंकित किया जायेगा । नियंत्रण कक्ष प्रतिदिन अपराह्न 3-00 बजे पूरे दिन की प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर मुख्यालय में प्रतिवेदित करेंगे ।

(ख) सभी संबंधित सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के अन्तर्गत प्रत्येक प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नोडल बिन्दु बनाकर एम्बुलेंस के साथ चिकित्सा पदाधिकारियों की टीम गठित की जाए । एम्बुलेंस में सभी आवश्यक दवायें उपलब्ध रहेंगी । यह टीम आज से ही प्रभावित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों का सघन दौरा करेगी तथा मस्तिष्क ज्वर से अक्रान्त मरीजों की पहचान तथा उनका प्राथमिक उपचार करेगी तथा आवश्यकता होने पर मरीजों को जिला अस्पताल/निकटस्थ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाने की व्यवस्था करेगी । मरीजों को जिला अस्पताल तथा निकटस्थ मेडिकल कॉलेज अस्पताल तक एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सिविल सर्जन का होगा ।

(ग) सभी संबंधित सिविल सर्जन सहायक निदेशक, कालाजार/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी(मलेरिया) की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक छिड़काव कराने की व्यवस्था करेंगे ।

(घ) सभी संबंधित सिविल सर्जन 'आशा', ममता, ए0एन0एम0, बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों की मदद से इस बीमारी के लक्षण, उसके बचाव एवं ईलाज के संबंध में समुचित जानकारी से आम जन को जागरूक करने के उद्येश्य से पर्याप्त मात्रा में पोस्टर, पैम्पलेट, हैंडबिल आदि का वितरण करायेंगे । पोस्टर, हैंड बिल आदि की व्यवस्था राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा की जाएगी ।

(च) सभी सिविल सर्जन 'आशा', 'ममता', बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के साथ-साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ0आर0एस0 एवं पारासीटामोल टाब्लेट/सिरप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके ।

(छ) इन जिलों के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुटिट्यां रद्द करते हुए उन्हें काम पर वापस बुलाया लिया जाए । अति गम्भीर परिस्थिति को छोड़कर सिविल सर्जन किसी भी चिकित्सक का सामान्यत: अवकाश स्वीकृत नहीं करेंगे और कर्त्तव्य स्थल पर उनकी उपस्थित सुनिश्चित करेंगे ।

(ज) सभी सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पतालों में इस बीमारी से संबंधित सभी आवश्यक दवायें उपलब्ध हो तथा अन्य चिकित्सा सुविधा अच्छी हालत में कार्यरत रहे । इस बीमारी के समुचित ईलाज के लिए मरीज को राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ-साथ केजरीवाल अस्पताल, मुजफफरपुर एवं महाबीर वात्सल्य अस्पताल, पटना रेफर किया जा सकता है तथा भेजा जा सकता है । इन सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा एवं दवा की व्यवस्था रहेगी ।

(झ) मुख्यालय स्तर पर राज्य नियंत्रण कक्ष गठित किया गया है जो अगले आदेश तक प्रात: 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्यरत रहेगा । राज्य नियंत्रण कक्ष के प्रभारी श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव बनाये गये हैं । इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए या सूचना देने के लिए उनसे (मोबाईल सं0-9470003008) सम्पर्क किया जा सकता है ।

3- उपर्युक्त सभी विन्दुओं पर अविलम्ब त्वरित कार्रवाई की जाए तथा की गयी कार्रवाई से विभाग को अवगत कराया जाए । सभी संबंधित सिविल सर्जन प्रत्येक दिन 3-00 बजे अपराह्न तक पूरे दिन का प्रतिवेदन फैक्स(0612-2217608)/इन्टरनेट/दूरभाष के माध्यम से विभाग के नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त सचिव, श्री संजय कुमार (मोबाईल सं0-9470003008) अथवा निदेशक प्रमुख (मोबाईल सं0-9835409749) को भेजे । इसमें किसी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

विश्वासभाजन,

13/6

(व्यास जी)